संख्या-246/2015/2590/नौ-5-15-45बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
पिपरी, सोनभद्र।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2015

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नालों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यो हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/न0पं0पि0/2015-16, दिनांक 12.04.2015, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-113/2015/2119/नौ-5-15-73बजट/2014, दिनांक 30.03.2015 द्वारा नगरीय जल निकासी योजना से जल निकासी के कार्यो हेतु नगर पंचायत, पिपरी जनपद सोनभद्र को द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त रू0 14.20 लाख के आहरित न होने की दशा में नान पेमेन्ट सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हुए धनराशि पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2015 द्वारा नगर पंचायत, पिपरी को अवमुक्त धनराशि को निरसित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नालों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 14.20 लाख( ₹ चौदह लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 | जनपद का नाम | निकाय का नाम | निर्गत प्रशासकीयय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक | निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | सोनभद्र | नगर पंचायत, पिपरी | 26/2015/6203/नौ-5-14-358बजट/2014, दिनांक 24.02.2015 | 29.20 | 15.00 | 14.20 |
| | | | योग | | | 14.20 |

(रू0 चौदह लाख बीस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्थाद्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) प्रश्नगत निकायों को जिन शासनादेशों के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्न की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( रंग बहादुर सिंह )
उप सचिव।

संख्या-246/2015/2590(2)/नौ-5-15-45बजट/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
3- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष, नगर पंचायत, पिपरी-सोनभद्र।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( रंग बहादुर सिंह )
उप सचिव।

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2015-2016**

**आवंटन दिनांक-16/07/2015**

**प्रेषण संख्या:-** 246-2015

**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-246-2015-2590-9-5-15-45B-2015

**अनुदान संख्या:-** 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

**लेखाशीर्षक:-** 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सोनभद्र-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 1420000<br>1420000 | 1420000<br>1420000 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 1420000<br>1420000 | 1420000<br>1420000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौदह लाख बीस हजार

**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह लाख बीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

**विशेष कार्याधिकारी**